क्रम संख्या–13

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 34/XXXVI(3)/2013/60(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012** पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012
{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **''बैरियर''** से इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) **''उपकर''** से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) **''उपकर निरीक्षक''** से उत्तराखण्ड के किसी सडक मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटर यान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) **''संग्रहण प्राधिकारी''** से धारा 11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) **''आयुक्त''** से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) **''पट्टेदार''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 4 के अधीन पट्टे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) **''हल्का मोटरयान''** से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) **''मोटरयान''** से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नहीं है;

(झ) **''अधिसूचना''** से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) **''सरकारी गजट''** से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) **''मार्ग अवस्थाना''** से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) **''अनुसूची''** से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) **''राज्य सरकार''** या **''सरकार''** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) **''टोकन''** से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

उपकर की दर और उसका भुगतान

3. (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयान से उनके सम्मुख स्तम्भ (3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रत्येक मोटरयान पर राज्य सरकार द्वारा उपकर अधिरोपित एवं वसूल किंया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में किसी वर्ग के यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट उपकर की दरों में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर उन्हे बढा सकती है या विलोपित कर सकती है और तदपश्चात प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी :

परन्तु यह कि किसी एक समय में प्रतिकर की दरों में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को उसके जारी होने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

(4) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति 'बैरियर' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(5) मोटरयान, जिसने राज्य में किसी बैरियर पर उपधारा (4) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उस समयावधि के भीतर, जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है, पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नही होगा।

(6) प्रतिदिन की रसीद 24 घन्टे के लिये विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी।

(7) तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(8) वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा 3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा स्वीकृत करने के उद्देश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पट्टे धारक के लिये पट्टे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना

5. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

उपकर निरीक्षक के अधिकार

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

बैरियर की स्थापना

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना

9. इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियाँ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रकिया

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

सचल दस्तों की स्थापना

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टों तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा :

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसका जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के

चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिए जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियाँ

12. (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पाँच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नहीं लेगा।

कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन

13. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नहीं होगी।

छूट

14. (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड़ सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके

उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

15. राज्य सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

प्रमाणीकरण

16. (1) किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिकी या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और अपवाद

17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

क0 सं0	यान का विवरण	प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये प्रतिकर की दरें
1	2	3	4	5
1	यान जिसकी भार वहन क्षमता			
	(क) 90 कुन्तल से अधिक है।	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 20 कुन्तल से अधिक 90 कुन्तल तक	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ग) 10 कुन्तल से अधिक 20 कुन्तल तक	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(घ) सार्वजनिक भार वाहन या निजी भार वाहन के साथ चालित ट्रेक्टर सिवाय जल कृषि कार्य के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो।	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
2	सवारी यान जिनमें बैठने की क्षमता–			
	(क) 20 सवारी से ऊपर हो	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 12 सवारी तक	40.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(ग) अन्य हल्के मोटरयान जैसे जीप, कार, पिकअप वैन, स्टेशन वैगन	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नही है।
	(1) जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो,	30.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 15 गुना	लागू नही है।
	(2) जब निजी भार वाहन के रूप में पंजीकृत हो	30.00 रूपया	लागू नही है।	लागू नही है।
	(3) उपकर बैरियर के 6 कि0मी0 के दायरे में निवास करने वाली निजी पंजीकृत यान के स्वामी	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नही है।
	(घ) मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा	20.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना

टिप्पणी– (1) स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी।

(2) स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 14 देखिये)

क0 सं0	विवरण	शर्तें और अपवाद
1	2	3
1	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान।	—
2	विभिन्न प्रदेशों मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान।	—
3	अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान	—
4	मोटर साइकिल और स्कूटर; और, कृषि प्रयोजन हेतु ट्रैक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)।	—
5	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान।	—

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 34/XXXVI(3)/2013/60(1)/2012
Dated Dehradun, January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Transport and Civic Infrastructure Cess Act, 2012'** (Adhiniyam Sankhya 06 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 January, 2013.